



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2018/ज्येष्ठ 4, 1940

No. 353]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/JYAISTHA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

सं. 28/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 498(अ).—जहां कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "संतृप्त बसा अल्कोहल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत प्रदार्थ से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/51/2016-डीजीएडी, दिनांक 23 अप्रैल, 2018, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि—

- (i) विषयगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था;
- (ii) विषयगत देशों से आयातित इस विषयगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है,

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में

निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्ष	पदार्थ का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2905 17, 2905 19, 3823 70	सभी प्रकार के संतृप्त वसा अल्कोहलस, (कैप्राइल्स अल्कोहलस (सी8) और डेसाइल अल्कोहलस (सी10) और सी8 और सी10 के मिश्रण को छोड़कर)	इंडोनेशिया	सिंगापुर	मैसर्स पीटी इकोग्रेन ओलियो केमिकल्स	मैसर्स इकोग्रीन ओलियो केमिकल्स (सिंगापुर) प्रा.लि.	शून्य	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
2	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	इंडोनेशिया	सिंगापुर	मैसर्स पीटी मुशिम मास	मैसर्स इंटरकॉन्टिनेन्टल ऑयल्स एंड फैट्स प्रा.लि. सिंगापुर	7.10	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
3	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	इंडोनेशिया	सिंगापुर	मैसर्स पीटी विल्मार नवाती	मैसर्स विल्मार ट्रेडिंग प्रा.लि., सिंगापुर	52.23	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
4	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	कोई भी	92.23	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
5	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	कोई भी	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	92.23	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
6	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	मलेशिया	सिंगापुर	मैसर्स एफपीजी ओलिया केमिकल्स एसडीएच बीएचडी	मैसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन, एस.ए. सिंगापुर	17.64	मैट्रिक टन	अमे.डा.
7	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया	मैसर्स केएल- कैपोंग ओलियामास एसडीएच बीएचडी	मैसर्स केएल- कैपोंग ओलियामास एसडीएच बीएचडी	शून्य	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
8	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	कोई भी	37.64	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
9.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	कोई भी	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	37.64	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
10	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	थाइलैंड	थाइलैंड	मैसर्स थाई फैटी अल्कोहल कं.लि.	मैसर्स थाई फैटी अल्कोहल कं.लि.	शून्य	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.

11	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	थाइलैंड	कोई भी	कोई भी	कोई भी	22.50	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.
12	2905 17, 2905 19, 3823 70	-तदैव-	कोई भी	थाइलैंड	कोई भी	कोई भी	22.50	मैट्रिक टन	अमे.डॉ.

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/169/2018-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2018

No. 28/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 498(E).—Whereas, in the matter of import of ‘Saturated Fatty Alcohols’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapters 29 and 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Indonesia, Malaysia and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. F. No.14/51/2016-DGAD, dated the 23rd April, 2018, has come to conclusion that-

- (i) the product under consideration is exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product;
- (ii) some of the imports were also causing material injury to the domestic industry,

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table:

TABLE

S. No.	Sub-headings	Description of goods	County of origin	County of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2905 17, 2905 19, 3823 70	All types of Saturated Fatty Alcohols excluding Capryl Alcohols (C8) and Decyl Alcohols (C10) and blends of C8 and C10	Indonesia	Singapore	M/s PT Ecogreen Oleochemicals	M/s Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd.	NIL	MT	USD
2.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Indonesia	Singapore	M/s PT Musim Mas	M/s Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd, Singapore	7.10	MT	USD
3.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Indonesia	Singapore	M/s PT Wilmar Nabati	M/s Wilmar Trading Pte Ltd., Singapore	52.23	MT	USD
4.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Indonesia	Any	Any	Any	92.23	MT	USD
5.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Any	Indonesia	Any	Any	92.23	MT	USD
6.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Malaysia	Singapore	M/s FPG Oleochemicals Sdh Bhd	M/s Procter & Gamble International Operations SA, Singapor	17.64	MT	USD
7.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Malaysia	Malaysia	M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd	M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd	NIL	MT	USD
8.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Malaysia	Any	Any	Any	37.64	MT	USD
9.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Any	Malaysia	Any	Any	37.64	MT	USD
10.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Thailand	Thailand	M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.	M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.	NIL	MT	USD
11.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Thailand	Any	Any	Any	22.50	MT	USD
12.	2905 17, 2905 19, 3823 70	-do-	Any	Thailand	Any	Any	22.50	MT	USD

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F.No. 354/169/2018-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.